भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 36

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

मध्य प्रदेश में उद्योग

36. श्री रोड़मल नागर:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विस्तार के लिए जनजातीय क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए लागू की जा रही योजनाओं के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में नई नौकरियों के सृजन हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय की कोई विशेष परियोजना आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : एमएसएमई मंत्रालय मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), नवाचार, ग्रामोद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना (एस्पायर), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) सम्मिलित है। इन योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ आसान ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, एमएसएमई को तकनीकी सहायता और स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में युवाओं के बीच उद्यमशीलता की प्रवृत्ति/कौशल विकसित करना है।

सरकार ने देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं, जिनमें निम्न्लिखित शामिल हैं;

(i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ।
(ii) एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
(iii) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
(iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।
(v) व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
(vi) एमएसएमई की शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करने सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को शामिल करते हुए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
(vii) 02 जुलाई, 2021 से प्रभावी खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।
(viii) एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों का गैर-कर लाभ का विस्तार करना।
(ix) अनौपचारिक माइक्रो एंटरप्राइजेज (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर सृजित करने सहित देश भर में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास को विभिन्न पहलुओं पर सुविधा प्रदान करना है। पीएमईजीपी रोजगार सृजन के एक घटक के साथ एमएसएमई मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। विवरण अनुबंध-1 में दिया गया हैं।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और इन्हें राज्य/जिलावार कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

*****

अनुबंध-क

गत 3 वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी का निष्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष	**वितरित मार्जिन मनी (एमएम) (लाख रुपये में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयां**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
2019-20	8063.63	2175	17400
2020-21	13807.82	4854	38832
2021-22	20961.46	8082	64656
2022-23 (31.01.2023 तक)	10031.3	3369	26952

गत 3 वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए पीएमईजीपी का निष्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष	**वितरित मार्जिन मनी (एमएम) (लाख रुपये में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयां**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
2019-20	191.83	78	624
2020-21	462.26	256	2048
2021-22	930.14	567	4536
2022-23 (31.01.2023 तक)	415.42	250	2000